



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001
Mail ID :ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 19 / 2023-24 / 86

दिनांक 01 फरवरी, 2024

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा—2024

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	दिनांक 01 फरवरी, 2024 (बृहस्पतिवार)
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	-	दिनांक 13 फरवरी, 2024 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	-	दिनांक 04 मार्च 2024 (सोमवार) सायं 05.00 बजे तक
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	-	दिनांक 04 मार्च 2024 (सोमवार) सायं 05.00 बजे तक

01. **रिक्तियों का विवरण—** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 391 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	सामान्य/अनारक्षित	कुल
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	₹ 21700- ₹ 69100 लेवल-3	17	11	26	38	299	391

02. जनपदवार पदों का विवरण:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	रिक्त पदों का विवरण					
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
1	अल्लोड़ा	00	00	00	05	38	43
2	बागेश्वर	00	01	00	02	10	13
3	चमोली	02	00	00	03	27	32
4	चम्पावत	03	01	00	01	08	13
5	देहरादून	00	03	00	06	48	57
6	हरिद्वार	00	00	00	01	08	09
7	नैनीताल	08	00	06	04	26	44
8	पौड़ी गढ़वाल	02	00	05	06	51	64
9	पिथौरागढ़	00	00	05	03	19	27
10	रुद्रप्रयाग	00	02	01	00	04	07
11	टिहरी गढ़वाल	01	04	03	03	17	28
12	उधमसिंह नगर	00	00	06	03	31	40
13	उत्तरकाशी	01	00	00	01	12	14
कुल		17	11	26	38	299	391

(चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों का जनपदवार उच्चाधिकार एवं क्षेत्रिक आरक्षण सम्बन्धी विवरण हेतु परिशिष्ट 'क' का अवलोकन करें)

- 03. पद का स्वरूप—** अराजपत्रित /अंशदायी पेंशन योजना।
- 04. वेतनमान—** वेतन बैण्ड-1, ₹ 5200–20200, ग्रेड पे–2000 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित लेवल-3, पे मैट्रिक्स 21700–69100)
- 05. शैक्षिक अर्हतायें—** स्वास्थ्य कार्यकर्ता(महिला) पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं—
- अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स (जिसमें 06 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्पुलित है) सफलतापूर्वक किया हो।
 - अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइक्स काउन्सिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो।
- 06. अधिमानी अर्हताएं—** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—
- (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या
 - (ख) राष्ट्रीय कौडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
- 07. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइक्स काउन्सिल, देहरादून में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- 08. आयु :—** आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
- परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विर्निदिष्ट की गई हो।
- 09. अधिकतम आयु सीमा में छूटः—** उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्त का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश संख्या: 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश संख्या: 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”
- उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित लम्बवत् श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य है।
- 10. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:—** अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile) धारित करता हो,
- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा

संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:- शासन की अधिसूचना सं0: 164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाइस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अद्वैत सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

11. अनापत्ति प्रमाण पत्र- जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. आरक्षण-

a. **लम्बवत् आरक्षण-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

b. **क्षैतिज आरक्षण-** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों तथा उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का पद शत् प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के कारण उत्तराखण्ड महिला हेतु आरक्षण की गणना नहीं की गई है।

c. **आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।**

d. **शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 की आय के आधार पर जारी किया गया हो।**

e. **शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल**

विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता—पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता—पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। **शासनादेश संख्या:** 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक— 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

- f. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के अधियाचन प्रपत्र के साथ संलग्न तालिका-1 में उल्लेख है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 25.03.2011 एवं शासनादेश संख्या 48/xvII-A-3/2023-01(11)/विक्रो/2017 दिनांक 05.06.2023 में दिव्यांगजन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद का चिन्हीकरण नहीं किया गया है, जिस कारण उपरोक्त तालिका में दिव्यांगजनों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना नहीं की गयी है तथापि इस संवर्ग हेतु प्रख्यापित उत्तराखण्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष तथा महिला) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2021 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा— 33 के अनुसार चिन्हित पदों तथा धारा— 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।
- g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- h. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या: 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तथा शासनादेश दिनांक 26.02.2016 की शर्तों के अनुसार निर्गत होने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए मान्य होगा अर्थात् दिनांक 04 मार्च 2021 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 मार्च 2024 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- i. “पूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो— (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की

कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट: पूर्व सैनिकों के आश्रितों को उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार से आयु सीमा में छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

- j. “स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित” से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।
- k. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।
- l. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- m. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- n. उपर्युक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी बैचवार ज्येष्ठता में आती है तो उसकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी आरक्षण का लाभ आयुसीमा में लिया गया हो और वे उस श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

13. राष्ट्रीयता :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

- (क) भारत का नागरिक हो: या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो: या
 - (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानियो (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:
- परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार के पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी आवश्यक रूप से अपेक्षा की जायेगी, कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

14. **चरित्रः**—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। **टिप्पणीः**—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन में या नियंत्रणधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
15. **वैवाहिक प्राप्तिः**— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो।
परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान है।
16. **शारीरिक स्वस्थता:-**
01. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।
 02. सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड— दो, भाग— तीन के अध्याय— तीन में दिये गये मूल नियम— 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के अनुसार चिह्नित पदों तथा धारा—34 के अन्तर्गत चिह्नित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नंहीं किया जायेगा,
17. **चयन प्रक्रिया:-** बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उपर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
18. **ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा—निर्देशः—**
- a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं।
 - b. वेबसाइट पर Apply Now पर क्लिक करें।
 - c. ऑनलाईन आवेदन हेतु Health Worker (FEMALE) Examination- 2024 के सम्मुख "Click Here" पर जाएं एवं Continue करें।
 - d. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें।
ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 13 फरवरी 2024 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।
 - e. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख संलग्न करने तथा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 04 मार्च 2024 (सांय 05.00 बजे) है।

- f. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।
- g. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता घासित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- h. ऑफलाइन / हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- i. अधूरे / अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- j. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
- k. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।
- l. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।
- m. अभ्यर्थी को दिये गये स्थान पर निम्नलिखित अभिलेखों को एक संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल बनाकर (A combined PDF file) निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है—
 - 1. High School Certificate *
 - 2. Intermediate Certificate *
 - 3. Auxiliary Nursing Midwifery All year Mark sheet*
 - 4. Auxiliary Nursing Midwifery Passing Certificate*
 - 5. Uttarakhand Nurses and Midwifery Council Registration Certificate (यदि नवनीकृत किया गया हो तो दोनों ओर से (Both Side) स्कैन कर संलग्न करें) *
 - 6. Category certificate SC/ST/OBC/EWS (if any)
 - 7. Sub Category Certificates: **Dependent of Freedom Fighter (DFF)/Ex-Army/ Orphan Children of Uttarakhand state** (if any)
 - 8. Domicile of Uttarakhand/ Non Transferable job certificate (If Any)
 - 9. NCC/Territorial Army Certificate.

नोट— क्रम संख्या 1,2,3,4,5 पर अंकित दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी के पास क्रम संख्या 6,7, 8 तथा 9 में से सम्बन्धी दस्तावेज है तो ऐसे दस्तावेज भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- n. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
- o. अन्तिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व प्रविष्टियों को जांच ले तथा उसके उपरान्त ही शुल्क जमा करें। इसके उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं।
- p. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अन्तिम अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संर्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- q. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- r. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय दिये गये जनपदों के 13 विकल्प में वरीयता क्रम में चयन करें। दिये गये 13 जनपदों के विकल्प भरना अनिवार्य है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये विकल्पों में किसी भी प्रकार से संशोधन/बदलाव अनुमत्य नहीं है। विकल्पों को चयन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं रहेगी। चयन किये जाने वाले जनपदों तथा जनपदकोड का विवरण निम्नानुसार है:—

S. No.	District Name	District Code
1	Almora	21
2	Bageshwar	22
3	Chamoli	23
4	Champawat	24
5	Dehradun	25
6	Hridwar	26
7	Nainital	27
8	Pauri Garhwal	28
9	Pithoragarh	29
10	Rudraprayag	30
11	Tehri Garhwal	31
12	Udham Singh Nagar	32
13	Uttarkashi	33

19. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- a. Step 1: Registration
- b. Step 2: Application Submission
- c. Step 3: Final Submission

➤ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

- a. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट www.ukmssb.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- b. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट www.ukmssb.org पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।
- c. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है।
- d. आवेदकों को Registration प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सुरक्षित (Save) करना होगा।
- e. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
 - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
- f. 'Registration Number' के साथ लॉग-इन होने के पश्चात् आवेदक ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं।
- g. Registration Form आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा।
- h. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पोर्टल द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। गलत/झूठे तथ्यों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में, यदि वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं, तो उन्हें अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

- i. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद तथा शुल्क जमा करने पद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
- 20. शुल्कः—** ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन—पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit Card/Credit Card) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹300/-मात्र
02	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹150/-मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹300/-मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹150/-मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹150/-मात्र

नोट

- I. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप—श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- II. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- III. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- 21. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**

शासनादेश संख्या—23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
(ख) क्षैतिज आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

22. अति महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक वैध अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

- c. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।
- d. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- e. अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं थी/था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाती/जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- f. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रेणी/उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि तथा प्रमाण पत्र संख्या में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सावधानीपूर्वक श्रेणी/उपश्रेणी के विवरण का अंकन करें।
- g. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन—पत्र, उपस्थिति—सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- h. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें।
- i. अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- j. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- k. हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
- l. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय स्नातक/डिप्लोमा के अंकों में कुल अंकों का योग का अंकन करें, जितना उनके द्वारा सभी सैमेस्टर में प्राप्त किया गया हो। अभ्यर्थी कृपया भली—भांति चैक कर लें कि वे आवेदन पत्र में अपनी स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स के समस्त सेमेस्टर/वर्ष के कुल अंकों की प्रविष्टि तथा उत्तीर्ण वर्ष को अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में स्नातक/डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि एवं योग अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उनके प्रशिक्षण कोर्स के कुल अंकों तथा उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर ही उन्हे अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त ही अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा।
- m. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा चयन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- n. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अंतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।
- o. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- p. अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- q. बोर्ड भवन में आचरण:- अभिलेख सत्यापन के समय कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- r. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। चयन के चरणों में अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
- s. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- t. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- u. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा: –
- अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात्
 - (क) गैर कानूनी रूप से परितोषाण की पेशकश करना
 - (ख) अनुचित दबाव डालना, या
 - उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:–
 - बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रही/रहा है, और/अथवा
 - उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए: –
 - (1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,
 - (2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,
 - यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि:
 - (1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,
 - (2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

23. अंगूठे का निशान (**Thumb Impression**)— सभी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपलब्ध कराए गए उपस्थिति प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अंगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
24. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।

25. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

26. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।

27. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वारूप्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

28. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

29. सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति नियोक्ता अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

30. अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें डाउनलोड करके अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।

31. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम— 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

32. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु बोर्ड की ई-मेल helplineukmssb@gmail.com या दूरभाष 0135—2665366 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

33. अभिलेख सत्यापन माह मई—जून 2024 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

ह०/-
(प्रो० विजय जुयाल)
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के अधियाचित पदों से सम्बन्धित ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण

क्रो सं०	जनपद का नाम	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					अनारक्षित					कुल रिक्त पद							
		उत्तराखण्ड महिला 30%	ख0सं००० के आश्रित 02%	भूत पूर्व सैनिक 05 %	दिव्यांगजन 04 %	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	ख0सं००० के आश्रित 02%	भूत पूर्व सैनिक 05 %	दिव्यांगजन 04 %	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	ख0सं००० के आश्रित 02%	भूत पूर्व सैनिक 05 %	दिव्यांगजन 04 %	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	ख0सं००० के आश्रित 02%	भूत पूर्व सैनिक 05 %	दिव्यांगजन 04 %	अन्य	कुल योग									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	
1	अल्मोड़ा	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	05	00	00	01	00	01	36	38	43	
2	बागेश्वर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	02	00	00	00	00	10	10	13		
3	चमोली	00	00	00	00	02	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	00	00	01	00	01	25	27	32	
4	चम्पावत	00	00	00	00	03	03	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	08	08	13	
5	देहरादून	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	06	00	00	02	00	02	44	48	57
6	हरिद्वार	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	08	08	09	
7	नैनीताल	00	00	00	00	08	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	06	00	00	00	00	04	04	00	00	01	00	24	26	44	
8	पौड़ी गढ़वाल	00	00	00	00	02	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	05	05	00	00	00	00	06	06	00	01	02	00	02	46	51	64	
9	पिथौरागढ़	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	05	05	00	00	00	00	03	03	00	00	00	00	19	19	27		
10	रुद्रप्रयाग	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	02	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	04	07		
11	टिहरी गढ़वाल	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	04	04	00	00	00	00	03	03	00	00	00	00	03	03	00	00	00	00	17	17	28		
12	उधमसिंह नगर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	06	06	00	00	00	00	03	03	00	00	01	00	29	31	40		
13	उत्तरकाशी	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	26	26	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	12	12	14		
	कुल रिक्त पद	00	00	00	00	17	17	00	00	00	00	11	11	00	00	00	00	26	26	00	00	00	00	38	38	00	01	08	0	08	282	299	391	

अभ्युक्ति / टिप्पणी:-

- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक- 25.03.2011 एवं शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/विरोक्त/2017 दिनांक 05.06.2023 में दिव्यांगजन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद का चिन्हीकरण नहीं किया गया है, जिस कारण उपरोक्त तालिका में दिव्यांगजनों हेतु क्षेत्रिज आरक्षण की गणना नहीं की गयी है तथापि इस संवर्ग हेतु प्रख्यापित उत्तराखण्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-33 के अनुसार चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का पद शत्-प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के कारण उक्त तालिका में उत्तराखण्ड महिला हेतु क्षेत्रिज आरक्षण की गणना नहीं की गयी है।